

एफटीएस सं.-1279342/2019-आरटीआई प्रकोष्ठ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 14 नवंबर, 2019

सेवा में,

श्री सिराज खान,
जाक सेवा ट्रस्ट,
19-के/8ए, कांधाईपुर रोड,
हारवारा, प्रीतम नगर,
धूमनगाज, इलाहाबाद-211011

विषय: श्री सिराज खान के दिनांक 5.10.2019 के आरटीआई आवेदन के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपके दिनांक 5.10.2019 के आरटीआई आवेदन जो इस विभाग को 23.10.2019 को प्राप्त हुआ है का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि फाइल ट्रैकिंग प्रणाली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आपका दिनांक 31.08.2019 का पत्र नहीं मिल रहा है। उक्त पत्र वित्त मंत्री के कार्यालय के रिकॉर्ड में भी नहीं मिल रहा है चूँकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार माँगी गई सूचना किसी सामग्री रूप में उपलब्ध नहीं है, इसे 'शून्य' माना जाएगा।

2. आरटीआई आवेदन के हस्तांतरण के विरुद्ध यदि कोई अपील है तो उसे इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री अरविन्द सरन, उप सचिव (प्रशा.), राजस्व मुख्यालय, वित्त मंत्रालय, कमरा सं. 48 क, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

भवदीय,

राघवेंद्र सिंह
14/11/19
(राघवेंद्र सिंह कुशवाह)

सीपीआईओ एवं अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-23095368

ई-मेल- rs.kushwah@nic.in

o/c
issued
14/11/19

FTS.No.1279342/2019-RTI Cell
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

North Block, New Delhi
Dated 5th November, 2019

To
Shri Siraj Khan,
Zak Sewa Trust,
19-K/8A, Kandhaipur Road,
Harwara, Preetam Nagar,
Dhoomangaj, Allahabad-211011.

Subject : RTI Application dated 05.10.2019 of Shri Siraj Khan-reg.

Sir,

I am to refer to your RTI Application dated 05.10.2019 received in this Department on 23.10.2019 and to say that as per the available records in the File Tracking System your letter dated 31.08.2019 is not traceable. The aforesaid letter is also not traceable in the records of the O/o the Finance Minister. Since the information sought is not available in any material form within the meaning of Section 2(f) of the RTI Act-2005, it may be treated as 'nil'.

2. Appeal, if any against the transfer of the RTI Application may be filed with the First Appellate Authority, Shri Arvind Saran, Director (Admn), Revenue Headquarters, Ministry of Finance, Room No. 48 A, North Block, New Delhi-110001 within 30 days of receipt of this letter.

Yours faithfully,

R. Singh
05/11/19

(Raghvendra Singh Kushwah)
CPIO & Under Secretary to the Govt. of India
Tel ; 23095368
Email – rs.kushwah@nic.in

o/c
issued
15/11/19.